

द्वारा

संख्या

34/22

क आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

22. आज्ञा पत्र 06R17 सी.पी.सी. 25 व 23 के अंतर्गत नरेश कुमार के नाम के आशे मनमोहि पत्नी इनाशम के स्वाम्य पर मनमोहि पुत्री इनाशम अंकित किया जाये। आज्ञा पत्र 06R17 सी.पी.सी. 25 व 23 के अंतर्गत नरेश कुमार के नाम के आशे मनमोहि पत्नी इनाशम के स्वाम्य पर मनमोहि पुत्री इनाशम अंकित किया जाने के आदेश दिए जाते हैं।

आज्ञा पत्र 06R17 सी.पी.सी. 25 व 23 के अंतर्गत नरेश कुमार के नाम के आशे मनमोहि पत्नी इनाशम के स्वाम्य पर मनमोहि पुत्री इनाशम अंकित किया जाने के आदेश दिए जाते हैं।

प्रकरण में जारी अधिवक्ता ने बगल के नष्ट कर मिर्चे बहम हेतु निवेदन किया। बहम सुनी। प्राथमिक डिप्टी जारी है। विस्तृत निष्पत्ति पृष्ठक के लिखवाया जाकर शांति मि. किया जाये। न. 12-10-11 को तद्विषय जारी है। आज्ञा पत्र 06R17 सी.पी.सी. 25 व 23 के अंतर्गत नरेश कुमार के नाम के आशे मनमोहि पत्नी इनाशम के स्वाम्य पर मनमोहि पुत्री इनाशम अंकित किया जाने के आदेश दिए जाते हैं।



महायुक्त  
(फास्ट ट्रैक)  
कोर्ट, (अदालत)

21/12/22 प्रसाहित्य अधिकार क्षेत्र / अन्तर्गत  
पर है। जवा: अन्तर्गत कार्यवाही हेतु  
दिनांक 23/12/22  
को पेश हो। क्रिय

23/12/22 व० वारी उप०। जुरीदार विपदी पेशा डेडी  
पवानली वारन अवलोकन विपदी दिनांक  
25/12/23 का पेशा ही/क

25/12/23 व० वारी उप०। कटस सुवी। पत्रावली  
वारन अवलोकन एव भारेरा दिनांक  
31/12/23 का पेशा ही/क

31/12/23 व० वारी उप०। पत्रावली एव जुरीदार  
आ अवलोकन किता राभा कटस पर  
मवन किता राभा मुकाबिले जुरीदार  
वारी का एव अनिम डिमी  
किता राभा ही विन्यात निजीत  
पृथक-ये लिखवाभा जाकर  
शा-मिठ किता राभा पत्रावली  
पेशा सुमार होकर दर्ज नम्बर  
की कम ही एव इतिविल इफेतर  
ही/क

सहायक कलकल  
(फास्ट ट्रेक)  
चौधे (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- रतन कोर (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-34/2022

उनवान

नरेन्द्र कुमार बुटोलिया पुत्र श्री बाबूलाल बुटोलिया, जाति खटीक, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी -

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र काना उर्फ कालू
2. कैलाश चन्द पुत्र दानाराम
3. गोपाललाल पुत्र दानाराम
4. छोटी पुत्री दानाराम
5. ज्याना देवी पुत्री काना उर्फ कालू
6. नर्बदा देवी पुत्री काना उर्फ कालू
7. बोदूराम पुत्र काना उर्फ कालू
8. मंगली देवी पुत्री काना उर्फ कालू
9. मालीराम पुत्र काना उर्फ कालू
10. मीरा देवी पुत्री काना उर्फ कालू
11. रामस्वरूप पुत्र काना उर्फ कालू
12. सन्तोष देवी पुत्री काना उर्फ कालू
13. लक्ष्मी पुत्री दानाराम
14. सुरेश कुमार पुत्र दानाराम
15. सोहन पुत्र काना उर्फ कालू
16. शंकर पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी
17. पप्पू पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी (मृतक दोराने दावा)
18. रमेश पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी,
19. कौशल पुत्र धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी,
20. मनोज पुत्र धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी,
21. अजय पुत्र छोदू पौत्र सोनी देवी,
22. पप्पू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम,
23. राजू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम,
24. बल्लू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम (मृतक दोराने दावा)
25. सुकारी देवी पुत्री मनभरी पुत्री दानाराम
26. राजू पुत्र नाथी देवी  
समस्त जाति धौबी, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
28. उप-पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रै / मु.) चौमूं

## दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

अधीन धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

### निर्णय

दिनांक :- 3/12/2023

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2022 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी कांश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 19.12.2022 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 352 के हाल खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.05 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. नरेन्द्र कुमार बुटोलिया पुत्र बाबुलाल जाति खटीक सा० देह खातेदार का खसरा नम्बर 1643/1 रकबा 0.7363 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.7363 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कैलाशचन्द, गोपाललाल, सुरेश कुमार पिता दानाराम हिस्सा 470/2037 छोटी, लक्ष्मी पुत्रियां दानाराम हिस्सा 940/6111 पप्पू, राजू पुत्रान मनभरी सुकारी पुत्री मनभरी हिस्सा 470/6111 कन्हैयालाल, बोदूराम, मालीराम, रामस्वरूप, सोहन पिता काना उर्फ कालू हिस्सा 427/2037 ज्याना देवी, नर्बदा देवी, मंगली देवी, मीरा देवी, सन्तोष देवी पुत्रियां काना उर्फ कालू हिस्सा 427/2037 राजू पुत्र नाथी हिस्सा 86/2037 शंकर, रमेश पिता लादूराम पौत्र सोनी देवी हिस्सा 157/6111 कौशल, मनोज पि० धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी हिस्सा 157/6111 अजय पुत्र छोटू हिस्सा 157/6111 जाति धोबी सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 1643/2 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2037 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 3/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(फा०ट्रै०/मुख्यालय)चौमूं

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं०:-34/2022

**उनवान**

नरेन्द्र कुमार बुटोलिया पुत्र श्री बाबूलाल बुटोलिया, जाति खटीक, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी -

**बनाम**

1. कन्हैयालाल पुत्र काना उर्फ कालू
2. कैलाश चन्द पुत्र दानाराम
3. गोपाललाल पुत्र दानाराम
4. छोटी पुत्री दानाराम
5. ज्याना देवी पुत्री काना उर्फ कालू
6. नर्बदा देवी पुत्री काना उर्फ कालू
7. बोदूराम पुत्र काना उर्फ कालू
8. मंगली देवी पुत्री काना उर्फ कालू
9. मालीराम पुत्र काना उर्फ कालू
10. मीरा देवी पुत्री काना उर्फ कालू
11. रामस्वरूप पुत्र काना उर्फ कालू
12. सन्तोष देवी पुत्री काना उर्फ कालू
13. लक्ष्मी पुत्री दानाराम
14. सुरेश कुमार पुत्र दानाराम
15. सोहन पुत्र काना उर्फ कालू
16. शंकर पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी
17. पप्पू पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी (मृतक दोराने दावा)
18. रमेश पुत्र लादूराम पौत्र सोनी देवी,
19. कौशल पुत्र धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी,
20. मनोज पुत्र धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी,
21. अजय पुत्र छोटू पौत्र सोनी देवी,
22. पप्पू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम,
23. राजू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम,
24. बल्लू पुत्र मनभरी पुत्री दानाराम (मृतक दोराने दावा)
25. सुकारी देवी पुत्री मनभरी पुत्री दानाराम
26. राजू पुत्र नाथी देवी  
समस्त जाति धौबी, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
28. उप-पजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रै / मु.) चौमूं


## दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरु रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

1. नरेन्द्र कुमार बुटोलिया पुत्र बाबुलाल जाति खटीक सा०देह खातेदार का खसरा नम्बर 1643/1 रकबा 0.7363 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.7363 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कैलाशचन्द्र, गोपाललाल, सुरेश कुमार पिता दानाराम हिस्सा 470/2037 छोटी, लक्ष्मी पुत्रियां दानाराम हिस्सा 940/6111 पप्पू, राजू पुत्रान मनभरी सुकारी पुत्री मनभरी हिस्सा 470/6111 कन्हैयालाल, बोदूराम, मालीराम, रामस्वरुप, सोहन पिता काना उर्फ कालू हिस्सा 427/2037 ज्याना देवी, नर्बदा देवी, मंगली देवी, मीरा देवी, सन्तोष देवी पुत्रियां काना उर्फ कालू हिस्सा 427/2037 राजू पुत्र नाथी हिस्सा 86/2037 शंकर, रमेश पिता लादूराम पौत्र सोनी देवी हिस्सा 157/6111 कौशल, मनोज पि० धर्मेन्द्र पौत्र सोनी देवी हिस्सा 157/6111 अजय पुत्र छोटू हिस्सा 157/6111 जाति धोबी सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 1643/2 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2037 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।  
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी किया गया।


मोहर

दस्तखत 

ओहदासहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रे / मु.) चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	0
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रे / मु.) चौमूँ